कक्षा शिक्षण में कौशलों के प्रयोग की व्यावहारिकता – एक सर्वेक्षण

श्रुति आनन्द*
अविनाश पाण्डेय*

शिक्षण प्रक्रिया में कौशलों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या में शिक्षण कौशलों को शामिल किया गया है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण कौशलों को अधिकाधिक विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं। विभिन्न शिक्षण कौशलों के विकास व अभ्यास के लिए सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षित शिक्षक विभिन्न प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक कौशलों के साथ विद्यालयों में प्रवेश करते हैं। परंतु वास्तविक स्थितियों में आमतौर पर उनके शिक्षण कौशलों में अनेक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं। प्रस्तुत शोधपरक लेख के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित, शिक्षक महिला एवं पुरुष कक्षाओं में अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग किस सीमा तक करते हैं अथवा कर पाते हैं।

''ज्ञान शून्य जब क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यूं पूरी हो मन की।'' इस पंक्ति का आधारभूत सत्य यह है कि अधिगम को यदि प्रभावशाली बनाना है तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होगा। यह प्रभावशाली शिक्षण, शिक्षक के द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न तकनीकी एवं तत्कालीन अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के सहयोग से हो सकता है। किसी भी शिक्षक के लिये नवीन कक्षागत परिस्थितियाँ एवं विभिन्न विभिन्नताओं को समाहित किए हुए विद्यार्थियों के मध्य स्वयं को समायोजित करने हेतु एवं उन्हें उन्नत अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु परंपरागत एवं कदाचित गैर परंपरागत शैक्षिक क्रियाओं को आधार बनाकर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना सुलभ व साध्य होता है। तथापि कभी-कभी छात्रों के मध्य अवस्थित

वैयक्तिक, विभिन्नता, उनकी बुद्धिलब्धि, उनका मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास कक्षा शिक्षण में शिक्षक को स्वयं सुसमायोजित करने में

* *प्रवक्ता,* शिक्षक-शिक्षा संकाय, नेहरु ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

चुनौती प्रस्तुत करता है। अत: अधिगम के स्तर पर कठिनाइयों के निवारण के लिए उसे नवीन प्रविधियों एवं तकनीकी की महती आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि शिक्षक एवं छात्र के मध्य अधिगम ही वह संबंध सूत्र होता है जिससे वे दोनों ही अपने-अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल होते हैं। नवीन प्रयुक्त की गई प्रविधियाँ ही वे सोपान होती हैं जिनसे शिक्षक अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर कठिन से कठिन अंशों या विषयों को सरलता से छात्रों के मध्य प्रस्तुत कर पाता है।

बसवेल एवं इरिक्सन ने शिक्षण के कार्य का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि ''शिक्षण का कार्य छात्रों को क्रियाओं में रत रखना है एवं उन्हें उन कार्यों एवं वस्तुओं के संबंध में विचारशील रखना है, जो वे कर रहे हैं।'' अर्थात् शिक्षक का कार्य मात्र अनुदेशन देना ही नहीं वरन् छात्रों के साथ एक उत्तम अन्त:क्रिया स्थापित करना भी है।

प्राचीन काल से शिक्षण को एक कला के रूप में मानते हुए यह भ्रान्ति थी कि यह व्यक्ति में निहित जन्मजात गुण है अर्थात् शिक्षक जन्म से इस गुण को लेकर पैदा होता है परंतु आज इस वैज्ञानिक युग में जहाँ मनुष्य ने ईश्वर की बनाई इस सृष्टि के सूक्ष्मतम कण को खोज निकालने का प्रयास ही नहीं किया वरन् उसमें सफलता की प्राप्ति भी की है, उसने इस मिथक को भी असत्य घोषित किया है कि अध्यापन एक जन्मजात कला है। विज्ञान ने अपने विभिन्न अन्वेषणों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि शिक्षण मात्र कला नहीं है वह एक विज्ञान भी है, और विभिन्न तकनीकों के प्रयोगों के माध्यम से एक सामान्य शिक्षक अपने में परिष्कार कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में स्वयं को गौरवान्वित कर सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के फलस्वरूप यह प्राप्त होता है कि सामान्य शिक्षण क्रियाएँ जो अपने मौलिक स्वरूप में शिक्षक के अंदर विद्यमान होती हैं उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से विकसित एवं पुष्ट भी किया जा सकता है। परंतु यहाँ भी प्राचीन ऋषि-मुनियों की वाणी ही याद आती है कि 'करत-करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान'' अर्थात् विज्ञान इन शिक्षण क्रियाओं में विकास एवं संवृद्धि को अभ्यास से जोड़ता है। अभ्यास के द्वारा विकसित यह योग्यता ही कौशल के नाम से जानी जाती है।

वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली में इन कौशलों का महत्वपूर्ण स्थान है। कदाचित यही कारण है कि आज शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनका स्थान सुनिश्चित किया गया है। प्रो. आर.पी. सिंह के अनुसार, ''विश्व के विभिन्न भागों में शिक्षक शिक्षा के इतिहास हेतु विभिन्न साक्ष्य हैं परंतु एक तथ्य सर्वमान्य है कि सभी समाजों ने प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रति श्रद्धा दिखाई है एवं उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों को महत्त्व प्रदान किया है।'' अत: यह कहा जा सकता है कि यह सर्वमान्य सत्य है कि प्रारंभ से ही शिक्षण कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इसके पीछे यह धारणा है कि शिक्षण का कार्य मात्र शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान कर उसके शैक्षिक स्तर को उच्च कर योग्य बनाना ही नहीं वरन् उसे समाज के योग्य नागरिक के रूप में एवं भावी पीढ़ी और समाज के हितचिंतक के रूप में संवेदनशील बनाकर उसे प्रतिष्ठा दिलाना भी है।

जब हम भारतीय शिक्षक शिक्षा के इतिहास के विषय में विचार करते हैं तो यह प्राप्त होता

है कि शिक्षक बनाने की प्रथा हमारे आद्य ग्रंथों में प्राप्त होती है परंतु यह व्यवस्थित रूप में दृष्टिगत नहीं होती। भारतीय शिक्षक शिक्षा का व्यवस्थित रूप हमें मिशनरियों के भारत पर आधि पत्य के पश्चात् दिखाई पड़ता है। इस काल में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु ईसाई धर्म गुरुओं अपने शिष्यों को विधिवत प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था जिसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की और उस परिस्थिति में जब विद्यालय एवं शिक्षा संस्थानों पर उन्हीं का आधि पत्य था तो यह प्रशिक्षण का प्रवाह शिक्षण में प्रभावित हुआ और इस प्रकार शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ। 1917 में कलकत्ता आयोग ने जिसे ''सैडलर कमीशन' के नाम से जाना जाता है, प्रशिक्षण को शिक्षा की मुख्य ध ारा से जोड़ने का प्रयास किया साथ-ही-साथ एक विषय के रूप में परिवर्तित करते हुए स्नातक एवं परास्नातक की उपाधियाँ देने की संस्तुति भी की परंतु इसे कक्षागत परिस्थितियों से नहीं जोड़ा गया। कालान्तर में शिक्षाशास्त्रियों ने इन बिंदुओं का विश्लेषण किया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहे प्रयोगों से प्रेरित होकर शिक्षण को व्यावहारिक परिस्थितियों से जोड़कर कौशलों के प्रभावशाली विकास के लिए प्रयास प्रारंभ किया। 1974 में डॉ. पासी एवं शाह ने इन्हीं कौशलों के अधिकाधिक विकास हेतु 'सूक्ष्म शिक्षण' नामक शब्दावली का प्रयोग करते हुए कौशलों पर कार्य संपादित किया। इस कार्य की सफलता के पश्चात् 1978 में एन.सी.ई.आर.टी. एवं इंदौर विश्वविद्यालय ने सम्मिलित प्रयास करके शिक्षक प्रशिक्षण हेतु एक राष्ट्रीय प्रायोजना का निर्माण किया।

शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत कौशलों का महत्वपूर्ण स्थान एवं उसका प्रभाव देखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) ने शिक्षक शिक्षा में विभिन्न स्तरों हेतु मानक पाठ्यक्रम एवं योजनाएँ निर्मित की हैं। विद्यालयी शिक्षा में अध्यापकों की शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु बी.एड. कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षण को प्रयोगात्मक कार्यों एवं शिक्षण कौशलों के अधिकाधिक विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान करने की योजना को क्रियान्वित किया गया है। अध्यापक शिक्षा संचालित करने वाली समस्त संस्थाएँ सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक परिस्थिति से संबंधित समस्त कौशलों के विकास हेतु निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन ही नहीं करतीं वरन् इन्हें अनिवार्य रूप से कौशलों के अभ्यास के लिये प्रेरित भी करती हैं।

प्रशिक्षित अध्यापक समस्त प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक योग्यताओं से युक्त होकर विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत होते हैं। आदर्श स्थिति एवं व्यावहारिक स्थितियों में सामान्यतया अनेक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं। शायद यही कारण है कि वित्त पोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में इनकी सेवाएँ प्राय: प्रशिक्षण की आदर्श स्थितियों एवं अनुमानों से पृथक स्वरूप में पाई जाती हैं। विद्यालयों के स्वरूप, विषयों के स्वरूप, कार्य दबाव, शैक्षिक परिवेश तथा विद्यालयी प्रबंधन आदि कारणों का प्रभाव शिक्षकों के शिक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं शिक्षण कौशलों के समुचित अनुप्रयोगों को उनके आदर्श अनुमान एवं वस्तुस्थिति से विचलित कर देते हैं।

शोधकर्ताद्वय ने प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापक वास्तविक एवं व्यावहारिक कक्षाओं में अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग किस सीमा तक करते हैं या कर पाते हैं। महिला एवं पुरुष शिक्षकों में इन कौशलों के प्रयोग की स्थितियों एवं आवृतियों में कोई भिन्नता है या नहीं? क्या इन कौशलों का प्रयोग विद्यालय के प्रकारों (वित्त पोषित एवं स्ववित्तपोषित) से भी प्रभावित होता है अर्थात् क्या इनके प्रयोग में भिन्नता पाई जाती है?

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिला एवं पुरुष प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कौशलों के प्रयोग का तुलनात्मक अध्ययन।
2. वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में सेवारत प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कौशलों के प्रयोग का तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. महिला एवं पुरुष प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण कौशलों का प्रयोग समान रूप से करते हैं।
2. वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में सेवारत प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षण कौशलों का प्रयोग समान रूप से करते हैं।

अध्ययन विधि

निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा अपने अध्ययन परिणामों का सामान्यीकरण इलाहाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया है। अत: इलाहाबाद जनपद के विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को जनसंख्या मानते हुए शोध उद्देश्यों के आधार पर 10 माध्यमिक विद्यालयों का चयन सोद्देश्य न्यादर्शन विधि से किया गया। जिनमें 5 विद्यालय वित्तपोषित एवं शेष 5 विद्यालय स्ववित्तपोषित हैं। प्रत्येक चयनित विद्यालय से सोद्देश्य न्यादर्श विधि से कुल 280 प्रशिक्षित अध्यापकों का चयन किया गया। इस प्रकार से चयनित न्यादर्श वितरण का विवरण निम्नांकित रेखाचित्र के माध्यम से किया जा रहा है।

चयनित विद्यालयों में महिला एवं पुरुष अध्यापकों के असमान संख्या के कारण न्यादर्श में इनका आनुपातिक वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रयुक्त उपकरण

प्रदत्तों के संग्रहण के लिए शोधकर्ताद्वय ने स्वनिर्मित ''शिक्षण कौशल प्रयोग मापनी'' का प्रयोग किया है। प्रयुक्त मापनी में कुल 9

शिक्षण कौशलों से संबंधित 36 कथन सम्मिलित किये गये हैं। कौशल के प्रयोग से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रत्येक कौशल से संबंधित घटकों में से सर्वोपयुक्त 4-4 घटकों को व्यावहारिक कथनों के रूप में समायोजित किया गया है। प्रयुक्त मापनी एक पंच बिंदु मापनी है जिसमें पाँच विकल्प दिये गये हैं।

प्रदत्त संग्रहण एवं अंकन

चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की अनुमति से अध्यापकों को मापनी दी गयी एवं ध्यानपूर्वक उत्तर देने का निवेदन किया गया। संपूर्ण रूप से

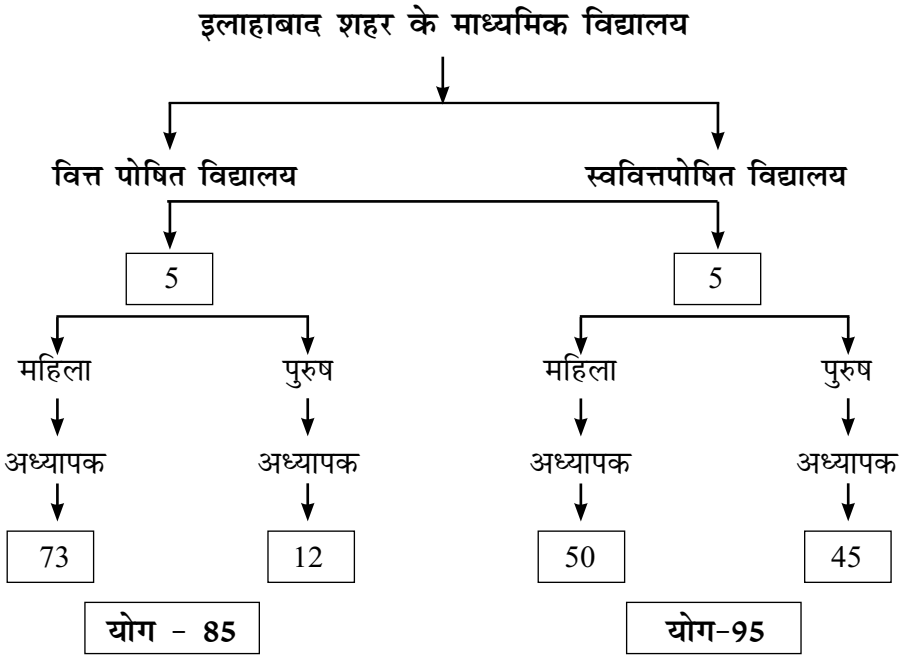

उत्तरित मापनियों को दो दिवस पश्चात् एकत्र किया गया। प्रदत्तों के अंकन का प्रयास न करते हुए मात्र गुणात्मक विश्लेषण विधि से प्रतिशतीय विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक कौशल से संबंधित उत्तरों की संख्या का मध्यमान निकालकर संबंधित कौशल के प्रयुक्ति के लिए प्रतिशत की गणना की गयी है एवं उनके आधार पर विभिन्न समूहों में तुलना का प्रयास किया गया है।

परिणामों का विश्लेषण एवं विवेचना

प्रदत्तों का विश्लेषण दो भागों में किया गया है। प्रथम भाग महिला एवं पुरुष शिक्षकों तथा दूसरा भाग वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से संबंधित है।

महिला एवं पुरुष शिक्षकों से संबंधित तुलनात्मक निष्कर्ष

1. तालिका 1 से स्पष्ट है कि लगभग 78 प्रतिशत शिक्षिकाएँ अपने कक्षा अध्यापन में प्रस्तावना कौशल का प्रयोग हमेशा करती हैं, जबकि मात्र 67 प्रतिशत शिक्षक इस कौशल का प्रयोग हमेशा कर पाते हैं।
2. 59 प्रतिशत शिक्षिकाओं की तुलना में मात्र 41 प्रतिशत पुरुष शिक्षक छात्र सहभाग कौशल का प्रयोग कक्षा अध्यापन में हमेशा करते हैं। जबकि 22 प्रतिशत महिला एवं 27 प्रतिशत पुरुष शिक्षक इस कौशल का प्रयोग प्रायः करते हैं।

तालिका 1

महिला एवं पुरूष अध्यापकों द्वारा विभिन्न कौशलों के प्रयोग का प्रतिशत मान

क्र.सं.	*कौशल/बारंबरता*	*हमेशा*		*प्राय:*	
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1.	प्रस्तावना	77.7	66.81	14.58	25.44
2.	छात्र सहभाग	58.95	41.35	26.36	9.75
3.	व्याख्या	76.88	74.54	15.20	18.17
4.	अनुशीलन प्रश्न	64.78	44.54	19.78	28.63
5.	पुनर्बलन	29.37	29.98	22.29	24.53
6.	दृष्टांत व्याख्या	64.58	55.42	21.03	31.33
7.	श्यामपट्ट लेखन	53.12	48.17	19.37	19.99
8.	उद्दीपन परिवर्तन	51.99	49.08	25.53	28.61
9.	पाठ समापन	55.20	48.18	20.41	25.43

(सभी मान प्रतिशत में)

3. अनुशीलन प्रश्न कौशल का प्रयोग जहाँ 65 प्रतिशत शिक्षिकाएँ हमेशा करती हैं वहीं मात्र 45 प्रतिशत शिक्षक ही इसका प्रयोग हमेशा करते हैं।
4. दृष्टांत व्याख्या कौशल का प्रयोग 65 प्रतिशत शिक्षिकाएँ एवं 55 प्रतिशत पुरुष शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान हमेशा करते हैं।
5. 53 प्रतिशत महिला शिक्षकों की तुलना में मात्र 48 प्रतिशत पुरुष शिक्षक श्यामपट्ट लेखन कौशल का प्रयोग हमेशा करते हैं।
6. 55 प्रतिशत महिला शिक्षिकाओं की तुलना में मात्र 48 प्रतिशत पुरुष शिक्षक ही पाठ समापन कौशल का प्रयोग हमेशा करते हैं।
7. व्याख्या कौशल एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशलों का प्रयोग पुरुष तथा महिला शिक्षक लगभग समान रूप से करते हैं।

वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों के अध्यापकों से संबंधित तुलनात्मक निष्कर्ष

1. 66 प्रतिशत वित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में लगभग 72 प्रतिशत स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षक पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रयोग अपने कक्षा शिक्षण के समय हमेशा करते हैं।
2. व्याख्या कौशल का हमेशा प्रयोग लगभग 73 प्रतिशत वित्तपोषित शिक्षकों की तुलना में 77 प्रतिशत स्ववित्तपोषित विद्यालयों के अध्यापक करते हैं।

तालिका 2

वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा विभिन्न कौशलों के प्रयोग का प्रतिशत मान

क्र.सं.	*कौशल/बारंबरता*	*हमेशा*		*प्राय:*	
		वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित	वित्तपोषित	स्ववित्तपोषित
1.	प्रस्तावना	66.40	72.12	22.93	15.52
2.	छात्र सहभाग	49.54	52.1	22.35	20.78
3.	व्याख्या	72.93	76.83	16.17	15.25
4.	अनुशीलन प्रश्न	58.52	61.49	19.70	23.41
5.	पुनर्बलन	32.35	31.13	18.52	25.78
6.	दृष्टांत व्याख्या	62.64	57.67	21.46	23.39
7.	श्यामपट्ट लेखन	47.68	49.46	17.64	22.22
8.	उद्दीपन परिवर्तन	51.02	51.05	21.46	33.1
9.	पाठ समापन	54.40	46.29	20.38	21.90

(सभी मान प्रतिशत में)

3. दृष्टांत व्याख्या कौशल का हमेशा प्रयोग लगभग 63 प्रतिशत वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों के अध्यापक करते हैं।
4. 54 प्रतिशत वित्तपोषित शिक्षकों की तुलना में मात्र 46 प्रतिशत स्ववित्तपोषित विद्यालयों के कार्यरत अध्यापक पाठ समापन कौशल का प्रयोग हमेशा करते हैं।
5. दोनों ही प्रकार की संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक छात्र सहभाग, अनुशीलन प्रश्न, पुनर्बलन, श्यामपट्ट लेखन एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशलों का प्रयोग लगभग समान आवृत्ति में करते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष

तालिका 1 एवं 2 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि

1. अध्यापिकाएँ अध्यापकों की तुलना में प्रस्तावना कौशल, छात्र-सहभाग कौशल, अनुशीलन प्रश्न-कौशल, दृष्टांत व्याख्या-कौशल का प्रयोग स्पष्ट रूप से अधिक करती हैं, जबकि दोनों ही शिक्षक, पुनर्बलन एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशलों का प्रयोग समान रूप से करते हैं। अर्थात् अध्यापिकाओं द्वारा इन कौशलों के प्रयोग की बारम्बारता (आवृत्ति) अध्यापकों की अपेक्षा अधिक है।
2. स्ववित्तपोषी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, वित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अपेक्षा प्रस्तावना एवं व्याख्या कौशलों का प्रयोग अधिक करते हैं अथवा उनके प्रयोग की बारंबारता अधिक है। जबकि दृष्टांत व्याख्या एवं पाठ समापन कौशलों के उपयोग की बारंबारता वित्तपोषित विद्यालयों के

शिक्षकों में अधिक पायी गयी। शेष कौशलों जैसे छात्र-सहभाग, अनुशीलन प्रश्न पुनर्बलन, श्यामपट्ट लेखन एवं उद्दीपन परिवर्तन का प्रयोग दोनों ही संस्थाओं के अध्यापक लगभग समान रूप से करते हैं।

परिणामों की व्याख्या

तालिका 1 एवं 2 के अध्ययन से ज्ञात परिणामों की व्याख्या हेतु शोधकर्ताद्वय ने एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण किया जिसमें सोद्देश्य विधि से 10 महिला एवं 10 पुरुष शिक्षकों से, शोध परिणामों के संदर्भ में उनकी राय माँगी गयी। प्राप्त सूचनाओं के आलोचनात्मक विमर्श के बाद शोधकर्ताओं का मानना है कि -

1. अध्यापिकाओं में से अधिकांश, बच्चों के पालन-पोषण का अनुभव रखती हैं एवं इस कार्य से उन्हें नैसर्गिक रूप से एक कुशल शिक्षिका बनने में सहायता मिल जाती है अत: अपने कक्षा-शिक्षण के समय शिक्षिकाएँ शिक्षकों की अपेक्षा कौशलों का अधिक प्रयोग (हमेशा) कर पाती हैं।
2. शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का मानना है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के कार्यदायित्व अधिक होते हैं अत: वे महिलाओं की अपेक्षा शिक्षण में कौशलों का प्रयोग कम कर पाते हैं।
3. महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा किसी कार्य को उचित रीति से करने की प्रवृत्ति पायी जाती है, शोधकर्ताद्वय स्वयं शिक्षक-प्रशिक्षक हैं और उनका व्यक्तिगत अनुभव है कि छात्राध्यापिकाएँ, छात्राध्यापकों की अपेक्षा अधिक लगन एवं रुचिपूर्वक शिक्षण अभ्यास करती हैं, अत: उनके इस अभ्यास एवं प्रवृत्ति का प्रभाव उनके वास्तविक कक्षा शिक्षण में भी दिखाई देता है और वे पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा कौशलों का प्रयोग अधिक या हमेशा कर पाती हैं।
4. विभिन्न शोधों से पुष्ट तथ्य है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सौन्दर्यात्मक मूल्य अधिक पाया जाता है। अत: शिक्षण कार्य की सुंदरता के सुनिश्चयन हेतु वे कौशलों का प्रयोग करती हैं, एवं शिक्षक नैसर्गिक कारणों से उक्त शिक्षकाओं से पीछे रह जाते हैं।
5. विगत शोधों से ज्ञात है कि महिला कर्मियों की उपस्थिति में पुरुष कर्मियों की अपेक्षा अधिक नियमितता पायी जाती है। अत: नियमित शिक्षण से उन्हें विषय के आकार का दबाव महसूस नहीं होता और वे उनमें कौशलों का उचित समायोजन करने में हमेशा सफल रहती हैं।
6. सारणी 2 से ज्ञात है कि लगभग कौशलों का प्रयोग स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षक हमेशा कर पाते हैं, जबकि वित्तपोषित शिक्षकों में इनके प्रयोग की बारंबरता कम पायी गयी है। सम्भवत: आर्थिक रूप से सुरक्षित एवं सुविधायुक्त स्थितियों के बावजूद वित्तपोषित शिक्षकों में जवाबदेही का अभाव पाया जाता है एवं इनमें प्राय: गुटबाजी, राजनीति एवं अन्य अनुचित शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों का आधिक्य होता है। जबकि स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों को उनके विषय में परिणामों के आधार पर प्रबंधक को सही है (जानकारी) देनी होती है एवं आर्थिक

एवं अन्य आयामों पर भी इनमें निश्चितता नहीं पायी जाती। अत: ये वर्तमान स्थिति को यथासंभव बचाने के लिए अपने शिक्षण के लिए सराहनीय प्रयास कर पाते हैं तथा वित्तपोषित शिक्षकों की अपेक्षा कौशलों के प्रयोग में अधिक बारंबारता प्रदर्शित करते हैं।

7. दोनों सारणियों से स्पष्ट है कि छात्र सहभाग कौशल एवं पुनर्बलन कौशल का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के अध्यापकों द्वारा सबसे कम किया गया है। सम्भवत: छात्र सहभाग एक समय लेने वाली प्रक्रिया है एवं लंबी विषय-वस्तु के अध्यापन में इसका प्रयोग हमेशा संभव नहीं हो पाता है। विषय-वस्तु के आकार के कारण लगभग सभी वर्ग के शिक्षक प्राय: व्याख्या विधि का ही प्रयोग करते हैं, अत: छात्र सहभाग एवं पुनर्बलन जैसे कौशल महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रयोग नहीं किये जाते हैं।

अत: शोधकर्ताओं का मानना है कि पुरुष अध्यापकों के शिक्षण कार्य में गुणवत्ता एवं कौशलों के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण एवं छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शिक्षण कौशल मात्र पुस्तकों में अंकित शब्द बनकर न रह जाएँ वरन् एक प्रक्रिया का गौरव प्राप्त कर सकें। वित्तपोषित विद्यालयों के अध्यापकों के शिक्षण कार्य का अधिक निरीक्षण करके एवं विशेषज्ञ की कक्षाओं के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करके शिक्षकों में शिक्षण प्रति उदासीनता को कम किया जा सकता है। शोधकर्ताद्वय का मानना है कि शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण के लिए अनालोच्य रूप से आवश्यक हैं। अत: इनके समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर विभिन्न प्रयास अपेक्षित हैं।

संदर्भ

बिस्वास, पी. सी. 2009. *'रिफलैक्शन ऑन टीचर एजूकेशन'.* यूनिवर्सिटी न्यूज़, एसोसिएशन ऑफ इडियन यूनिवर्सिटीज, वॉल्यूम 47.

ब्रोफी, जे. ई. 1981. *'टीचर प्रेज़: ए फंक्शनल एनालेसिस'.* रिव्यू ऑफ़ एजूकेशनल रिसर्च, 51 (1), 5-32.

सिंह, आर. पी. 2009. *'टीचर एजुकेशन: दि अनरिसर्चड् एरिया'.* यूनिवर्सिटी न्यूज़, एसोसिएशन ऑफ इडियन यूनिवर्सिटीज़, वॉल्यूम 47.

www.questia.com/journal

http://flmail.rediff.com/bn/download/cgi/student participation learning a.....2/11/2006